न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना – कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :–श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण :–

1. आत्माराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार, निवासी रोहिण्डी तह. परबतसर
2. कमला देवी पुत्री पूसाराम जाति कुम्हार, निवासी रोहिण्डी तह. परबतसर
3. खीवराज पुत्र पूसाराम जाति कुम्हार, निवासी रोहिण्डी तह. परबतसर
4. गोपाल पुत्र पूसाराम जाति कुम्हार, निवासी रोहिण्डी तह. परबतसर
5. नानूराम पुत्र पूसाराम जाति कुम्हार, निवासी रोहिण्डी तह. परबतसर
6. मूलाराम पुत्र पूसाराम जाति कुम्हार, निवासी रोहिण्डी तह. परबतसर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. श्रीराम पुत्र सत्यनारायण जाति ब्रहाम्ण निवासी परबतसर
2.
3. उगमराज पुत्र मांगीलाल जाति जांगीड निवासी रोहिण्डी
4. छोटूराम पुत्र नारायण जाति कुम्हार निवासी रोहिण्डी
5. ताराबाई पत्नी मोहनलाल जाति कुम्हार निवासी प्रफूल टाकीज के पास इन्दौर
6. भंवरलाल पुत्र दयाल जाति कुम्हार निवासी रोहिण्डी
7. हरि पुत्र दयाल जाति कुम्हार निवासी रोहिण्डी
8. कालू पुत्र दयाल जाति कुम्हार निवासी रोहिण्डी
9. नरेन्द्र पुत्र मोहनलजाल जाति कुम्हार निवासी प्रफूल टाकीज के पास इन्दौर
10. नीरजन पुत्र मोहनलाल जाति कुम्हार निवासी प्रफूल टाकीज के पास इन्दौर
11. नोरताराम पुत्र कानाराम जाति कुम्हार निवासी रोहिण्डी
12. पेमाराम पुत्र कानाराम जाति कुम्हार निवासी रोहिण्डी
13. प्रभू पुत्र गणेश जाति कुम्हार निवासी रोहिण्डी
14. बंशीराम पुत्र शिवराम जाति कुम्हार, निवासी रोहिण्डी तह. परबतसर
15. भैरूराम पुत्र शिवराम जाति कुम्हार, निवासी रोहिण्डी तह. परबतसर
16. भूराराम पुत्र नारायण जाति कुम्हार, निवासी रोहिण्डी तह. परबतसर
17. माणक पुत्र भंवरलाल जाति कुम्हार, निवासी रोहिण्डी तह. परबतसर
18. गोपाल पुत्र भंवरलाल जाति कुम्हार, निवासी रोहिण्डी तह. परबतसर
19. भागीरथ पुत्र मांगीलाल जाति जांगीड निवासी रोहिण्डी
20. मूलाराम पुत्र कानाराम जाति कुम्हार निवासी रोहिण्डी
21. रामदेव पुत्र शिवराम जाति कुम्हार, निवासी रोहिण्डी तह. परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

22. बंशी पुत्र शिवराम जाति कुम्हार, निवासी रोहिण्डी तह. परबतसर
23. भैरू पुत्र शिवराम जाति कुम्हार, निवासी रोहिण्डी तह. परबतसर
24. हनुमान पुत्र शिवराम जाति कुम्हार, निवासी रोहिण्डी तह. परबतसर
25. श्याजीराम पुत्र मांगीलाल जाति कुम्हार, निवासी रोहिण्डी तह. परबतसर
26. मिठूलाल पुत्र मांगीलाल जाति जांगीड निवासी रोहिण्डी तह. परबतसर
27. मोहनलाल पुत्र ांकरलाल जाति जांगीड निवासी रोहिण्डी
28. मुकेश पुत्र रतनलाल जाति जांगीड निवासी रोहिण्डी तह. परबतसर
29. प्रभूराम पुत्र रामकरण जाति कुम्हार, निवासी रोहिण्डी तह. परबतसर
30. कालू पुत्र रामकरण जाति कुम्हार, निवासी रोहिण्डी तह. परबतसर
31. श्रवण पुत्र रामकरण जाति कुम्हार, निवासी रोहिण्डी तह. परबतसर
32. शंकर पुत्र रामकरण जाति कुम्हार, निवासी रोहिण्डी तह. परबतसर
33. रामदेव पुत्र शिवराम जाति कुम्हार, निवासी रोहिण्डी तह. परबतसर
34. रोशनलाल पुत्र मोहनलाल जाति कुम्हार निवासी प्रफूल टॉकिज के पास इन्दौर
35. कालू पुत्र लादूराम जाति कुम्हार निवासी रोहिण्डी तह. परबतसर
36. श्रवण पुत्र लादूराम जाति कुम्हार निवासी रोहिण्डी तह. परबतसर
37. शंकर पुत्र लादूराम जाति कुम्हार निवासी रोहिण्डी तह. परबतसर
38. श्योजीराम पुत्र चन्द्राराम जाति कुम्हार निवासी प्रफूल टॉकिज के पास इन्दौर
39.
40. मांगू पुत्र सुखदेव जाति कुम्हार निवासी प्रफूल टॉकिज के पास इन्दौर
41. नरसी पुत्र सुखदेव जाति कुम्हार निवासी प्रफूल टॉकिज के पास इन्दौर
42. सोहनलाल पुत्र कानाराम जाति कुम्हार निवासी रोहिण्डी
43. हडमानराम पुत्र शिवाराम जाति कुम्हार निवासी रोहिण्डी
44. हीराराम पुत्र कानाराम जाति कुम्हार निवासी रोहिण्डी तहसील परबतसर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– श्री रिषी बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री गोपाल राम पुनिया अधिवक्ता अप्रार्थी 3,11 से 13,16 से 20, 23, 24, 28, 31 से 33, 42, 44

मुकदमां नम्बर 2019/00049 निर्णय दिनांक :– 07.07.2025

निर्णय

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम रोहिण्डी में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 229, 230, 231, 232 रकबा क्रमश 0.6600 हैक्टर, 0.6600 हैक्टर, 0.0200 हैक्टर व 1.3000 हैक्टर कुल रकबा

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

2.6400 हैक्टर का उपयोग–उपभोग करने एवं खातेदारी अधिकारों का उपयोग करने के लिए प्रार्थीगण स्वयं की कब्जा सुदा खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 232 के लिए 20 फुट चौडा रास्ता अपनी कृषि भूमि के पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 233 के दक्षिणी सींव से होते हुए खसरा नम्बर 234, 235 के पश्चिमी सीव से होते हुए आबादी तक 20 फुट चौड़ा रास्ता कायम करवाने की इस्तदुआ चाही है।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 6, 7, 15, 29 से 32, 43 के नोटिस दिनांक 14.08.2019 को तामील सुदा प्राप्त होने व अप्रार्थी संख्य 5, 8, 9, 34, 38 के नोटिस की एडी प्राप्त हुई बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 25.08.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई व अप्रार्थी संख्या 3, 11, 12 ,13 ,16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 31, 32, 33, 42, 44 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल राम पुनिया ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा गया। अप्रार्थी संख्या 4, 21, 25, 27, 35 की ओर से वकालतनामा पेश नहीं किया बार–बार आवाज लगाए जाने पर अनुपस्थित रहने पर दिनांक 23.12.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश कर अप्रार्थी संख्या 2 व 39 के लाऔलाद फौत हो जाने व विधिक वारिसान नहीं होने से नाम डिलीट किए जाने का निवेदन किया जिसे स्वीकार कर दिनांक 14.09.2021 को अप्रार्थी संख्या 2, 39 का नाम हफ़ज किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 का नोटिस पत्नी से तामील होकर प्राप्त होने व बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 23.10.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गईं। प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.07.2025 को स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसके अनुसार मौका रिपोर्ट दिनांक 29.07.2022 के अनुसार लाल स्याई से अंकित ए से बी मौके पर रास्ता चालू है तथा बी.एफ.सी तक प्रार्थी को रास्ता घोषित किया जाता है तो प्रार्थीगण को इससे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, प्रार्थीगण उक्त 300मीटर दूरी की डी.एल.सी के अनुसार राशि मा कराने को तैयार है। अप्रार्थी संख्या 3, 4, 11 से 14, 16, 17 18 से 21, 23, 24, 25, 27, 28, 35 के खिलाफ दिनांक 01.06.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जिससे अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र 22 नियम 4 (3) सीपीसी का पेश किया जिस पर उभय पक्षकारों के अधिवक्ता की बहस सुनी गई

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

व प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कियाा जाकर प्रकरण 251ए का होने व प्रकरण 5 वर्ष से अधिक पुराना होने से वकील अप्रर्थीगण को जवाब पेश करने हेतु अवसर दिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर बहस वकील प्रार्थी की एक–पक्षीय सुनी गई।

3. हमने प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधिक सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया।

4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अनुसार खसरा नम्बर 229, 230, 231, 232 प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है, खसरा नम्बर 234, 235, 214, 216, 217, 233, 682 अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। दिनांक 16.03.2020 को प्राप्त मौका रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा आपत्ति जाहीर की गई। जिस पर दिनांक 29.07.2022 को तत्कालिन उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा मौका निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार मौके पर चल रहे रास्ते ए.बी (जो श्रीमान जी कार्यालय से नियम 131, 132 रास्ता घोषित है।) की निकटतम् दूरी संलग्न नजरी नक्शे में अंकित बिन्दु डी.ई है, उक्त खातेदार बिन्दु डीई से रास्ते की मांग कर रहा है। जिसकी राजस्व रेकर्ड अनुसार कुल लम्बाई डीई 262मी है। मौके पर बिन्दू ए से बी आबादी से नर्सरी तक चालू रास्ता है। खसरा नम्बर 233 के खातेदार खसरा नम्बर 232 के खातेदार को बिन्दू बी से सी तक रास्ता देने के लिए सहमत है। बी से सी तक की कूल दूरी 300मी है, यदि बिन्दू बी से सी तक गै.मु रास्ता घोषित कर दिया जाता है ताो अन्य खातेदारों के लिए भी रास्ते की समस्या का निवार्ण सम्भव हो सकता है उक्त स्थान पर पूर्व में सहमति से रास्ता चल भी रहा था। वर्तमान मे बी से एफ तक मौके पर रास्ताा खुला भी है। खसरा नम्बर 217, 216, 214 व 233 के खातेदारों की संयुक्त खातेदारी है आपसी सहमति के बंटवारे के अनुसार इन खातेदारों ने अपनी सहमति से ब।अवारा मौके पर कर रखा है। बिन्दू ईडी तक खसरा नम्बर 233 में से रस्ता घोषित किया जाता है तो उनका बंटवरा भी प्रभावित होगा जो मौके पर सींव डीई है वह अपने नियत स्थान पर नहीं है।

5. रिकार्ड एवं मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण ने जहां से रास्ते की मांग की है वह सबसे नजदीकी रास्ता है परन्तु मौका रिपोर्ट दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

29/07/2022 से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 217, 216, 214 व 233 के खातेदारों की संयुक्त खातेदारी है आपसी सहमति के बंटवारे के अनुसार इन खातेदारों ने अपनी सहमति से बंटवारा मौके पर कर रखा है। बिन्दू ईडी तक खसरा नम्बर 233 में से रास्ता घोषित किया जाता है तो उनका बंटवरा भी प्रभावित होगा क्योंकी रिपोर्ट के अनुसार उक्त सींव अपने नियत स्थान पर नहीं है तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 29/07/2022 के अनुसार मौके पर बिन्दू ए से बी तक रास्ता चालू है तथा बिन्दू बी सी तक गै0मु रास्ता घोषित किया जाता है तो अन्य खातेदरों के लिए भी रास्ते की समस्या का निवार्ण सम्भव हो सकेगा। इस प्रकार खसरा नम्बर 232 में आवागमन हेतु दिनांक 29/07/2022 की रिपोर्ट अनुसार मार्क बी से जिसकी लम्बाई 300मीटर के रूप में दिया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

6. अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम रोहिण्डी में प्रार्थी की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 232 में आवागमन हेतु मार्क बी से सी तक मौका रिपोर्ट दिनांक 29/07/2022 में अंकित नाप–चौक अनुसार 20 फीट रास्ता खातेदारों की खातेदारी से कम कर गै0मु0 रास्ता राजकीय भूमि दर्ज किया जावे। रास्ते में गई भूमि के बदले वर्तमान डी.एल. सी की दो गुणा राशि वसूल कर सम्बन्धित खातेदारान को भूगतान किया जावे। मौका रिपोर्ट दिनांक 29/07/2022 निर्णय का पार्ट रहेगा। तहसीलदार को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकुमार टांडा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर